HANS

PAGE 1 OF 6	अभियोजन साक्षी संख्याः 08

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 2373/2023		
राज्य	**बनाम**	सूरज शुक्ला

नाम साक्षीः अमरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० श्री शिव बहादुर सिंह	अपराध संख्या-90/2023
उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः पुलिस निरीक्षक	धारा- 302, 201, 120B भादवि
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात	थाना-सिकन्दरा, कानपुर नगर।

दिनांकः-03.01.2025

मैं **साक्षीः अमरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० श्री शिव बहादुर सिंह, उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः पुलिस निरीक्षक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि....

1. दिनांक 12.06.2023 को मेरी तैनाती प्रभारी निरीक्षक सिकन्दरा के पद पर थी। उसी दिन थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं०-90/2023 धारा 302 भादवि बनाम अनुज यादव आदि की विवेचना नकल चिक, नकल रपट मैंने प्राप्त की थी एवं उसका अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया गया था।

2. घटना की सूचना मिलने पर मैं तत्काल सुबह लगभग दस बजे उस स्थान पर पहुँचा जहां पर मृतक के शव के पड़े होने की सूचना मिली थी। जहाँ पर पहले से ही निरीक्षक संजेश कुमार, डॉग स्कवायड व फील्ड यूनिट की टीमें पूर्व से ही मौजूद थीं। मृतक की पहचान उसकी जेब से प्राप्त आधार कार्ड व सर्विस आई०डी० कार्ड से नितेश त्रिपाठी उर्फ रवि पुत्र इन्द्र कुमार त्रिपाठी के रुप में हुई। मृतक के परिवार के श्री मुनेश त्रिपाठी के मोबाइल सं०-9670934040 पर दी गयी थी। जिस पर मृतक के परिवारीजन मौके पर आ गये थे। डॉग स्कवायड द्वारा नियमानुसार साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी।

3. मृतक की पहचान होने पर उसके परिजन मौके पर आये और मृतक के भाई हरिओम त्रिपाठी द्वारा थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। मृतक का पंचनामा उ०नि० रंजीत सिंह द्वारा भरकर पैनल से पोस्टमार्टम कराने हेतु मर्चुरी भेजा गया था।

4. विवेचना के दौरान मैंने उक्त मुकदमें के वादी मुकदमा हरिओम त्रिपाठी का बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया था जिन्होंने बताया था कि मेरे भाई नितेश त्रिपाठी का प्रदीप यादव से पैसे का लेनदेन जिसमें आपस में कहासुनी हुई थी। जिसको लेकर प्रदीप मेरे भाई से रंजिश करता था। प्रदीप का दोस्त अनुज यादव भी मेरे भाई से दोस्ती कर लिया था। अनुज यादव की गाड़ी को लेकर मेरा भाई नितेश आता था। दिनांक 11.06.2023 को नितेश घर से निकलते समय माँ से यह बताकर निकला था कि मैं अनुज यादव के साथ कहीं जा रहा हूँ। और जब मेरे पिता ने मेरी मां से नितेश के बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि नितेश, अनुज के साथ कहीं गया है। जब मेरे पिता इन्द्रकुमार त्रिपाठी द्वारा नितेश का फोन लगाया गया तो नितेश का फोन बंद बताया। दूसरे दिन दिनांक 12.06.2023 को समय करीब दस बजे परिवार के श्री मुनेश त्रिपाठी के मोबाइल संख्या 9670934040 पर फोन नम्बर 9140822439 द्वारा सूचना दी गयी कि नितेश की लाश खोजाफूल प्रीतमपुर अमराहट कैनाल के पास पड़ी है। जब मैं व मेरे परिवार के कुछ लोग घटनास्थल पर पहुँचे तो देखा कि मेरे भाई की हत्या की गयी है। उसके चेहरे, पीठ व गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें हैं। मेरे भाई का प्रदीप यादव से रुपये का हिसाब किताब बाकी था। इनलोगों से पहले भी विवाद हो चुका था।

5. तत्पश्चात मैंने उस स्थान का निरीक्षण किया था जहाँ पर मृतक का शव पाया गया था। मृतक का शव खोजाफूल गांव के बोर्ड के पास एन०एच० 19 हाइवे पर रोड़ के किनारे मिला था। ऐसा लग रहा था कि मृतक का शव रोड़ के किनारे हाइवे पर इसलिए फेंका गया था ताकि उसे दुर्घटना का रुप दिया जा सके। तत्पश्चात उस स्थान का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया जहाँ पर मृतक का शव पाया गया था जिसमें वीटीएस की कार्यवाही भी शामिल थी। मृतक के मोबाइल का सीडीआर भी मंगवाया गया। सीडीआर का अवलोकन किया गया। सीडीआर से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक ने किसी अर्चना से दिनांक 11.06.2023 को छह बार बात की थी। मैंने अर्चना को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया था तो उसने बताया था कि उसकी मृतक नितेश से दोस्ती थी। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। अर्चना ने यह भी बताया कि मैं इन्हीं के गाँव के सूरज से भी बात करती थी। सूरज जब फोन करता था तो मेरा नम्बर बिजी बताता था और मुझसे पूछता था कि आप किसी दूसरे से बात तो नहीं करती हो तो मैं उसे मना कर देती थी, तब सूरज ने मेरे घर में जानकारी करने का प्रयास किया था। इसके उपरान्त सूरज को भी बुलाकर पूछताछ की गयी थी, सूरज ने अर्चना से प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार की थी और यह भी बताया था कि अर्चना मेरे घर आती जाती है। जुर्म को इकबाल नहीं किया था, इस

कारण से बाद पूछताछ सूरज को थाने से रुखसत कर दिया गया था। संदिग्ध प्रदीप व अनुज को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया था। इनलोगों ने भी घटना से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध नहीं करायी थी जिस कारण से इनको थाने से रुखसत किया गया था। काफी छानबीन के बाद पता चला कि मृतक नितेश की मृत्यु सूरज, अनुज व प्रदीप के द्वारा की गयी है। अनुज द्वारा मृतक नितेश से जरिए मोबाइल वार्ता की गयी थी। वार्ता के क्रम में, जब जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि अनुज, प्रदीप व सूरज आपस में दोस्त हैं। दोस्ती के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रदीप और नितेश पहले साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे। नितेश की एयरफोर्स में नौकरी लग गयी थी। प्रदीप मिट्टी का व्यवसाय करता था, डंपर खरीदने के लिए प्रदीप ने नितेश से तीन लाख रुपये लिये थे। रुपये के लेनदेन को लेकर दोनों में काफी कहासुनी हो गयी थी। इसी दौरान प्रदीप के दोस्त अनुज जो टैक्सी चालक था, से भी नितेश की दोस्ती हो गयी। नितेश, अनुज की गाड़ी लेकर गाँव चला आता था और कई दिन तक उपयोग करता था। अनुज ने भी नितेश से बीस हजार रुपये उधार ले लिये, रुपये वापस मांगने के दौरान नितेश ने इनलोगों को भला-बुला कहा जिसको लेकर ये लोग खुन्नस मानने लगे। नितेश, अनुज की गाड़ी लेकर गांव आता था जिस कारण से सूरज, अनुज का पता लगाकर अनुज से मिला। जब इनलोगों की आपसी बात वह समझ गया, तब सूरज ने अनुज व प्रदीप से अपने विषय में बताया कि मेरी अर्चना नाम की लड़की से दोस्ती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अर्चना इसलिए शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि मैं टैक्सी चालक हूँ। वो नितेश जो आपका दोस्त है उसी से शादी करना चाहती है क्योंकि वह एयरफोर्स में नौकरी करता है। मैं अर्चना के बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर आप लोग सहमत हों तो उसे रास्ते से हटा दिया जाये तब तीनों लोगों में आपसी रजामंदी हुई कि इसको रास्ते से हटा दिया जाये। प्रदीप ने कहा कि आपलोग नितेश को जान से मार दीजिए, इसमें जो कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होगा वो मैं दूंगा। यह योजना तैयार की गयी, तब अनुज ने बताया कि दिनांक 28.05.2023 को नितेश छुट्टी पर घर आ रहा है। इसी में ही उसको खत्म कर देना है।

6. दिनांक 11.06.2023 को सुबह साढे नौ बजे के करीब अनुज ने नितेश से बात करके शाम को छह बजे बाराजोड हाइवे पुल के पास बुलाया और अनुज, सूरज के पास आकर पूरी बात बतायी कि शाम को छह बजे नितेश को मैंने बाराजोड हाइवे पुल के पास बुलाया है। सूरज, अनुज काले रंग की XUV300 जिसका नम्बर UP77AJ1526 से वहाँ पहुँचकर बाराजोड हाइवे पुल के पास नितेश का इंतजार करने लगे कि समय करीब साढ़े छह बजे शाम को नितेश फौजी उनलोगों को बाराजोड हाइवे पुल के पास मिला। गाड़ी में हमलोगों ने पहले से बीयर व नमकीन रखे थे। ड्राइविंग सीट पर अनुज यादव, ड्राइविंग सीट के बगल में नितेश फौजी को बैठाया था, पीछे बीच वाली सीट में सूरज बैठा था। खाने-पीने के दौरान पैसे के लेनदेन में अनुज व नितेश से गर्मागर्मी बहस होने लगी। इसी बहस के दौरान अर्चना अवस्थी की बात आ गयी। सूरज व नितेश में गालीगलौज होने लगी। सूरज ने व्हील

पाना जो ड्राइविंग सीट के नीचे रखा था, को उठाकर नितेश फौजी के सिर के पीछे मार दिया जिससे वो आगे डैशबोर्ड की तरफ जाकर टकराया जिससे उसको गंभीर चोट आयी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा अनुज ने भी नितेश को घूंसों से मारा जिससे नितेश फौजी मरणासन्न हो गया। तब तक अंधेरा हो गया था। सूरज ने नीचे उतरकर नितेश फौजी के सीट वाले गेट को खोलकर उसके अंडकोष पर एक लात मारी जिससे वो मर गया। इसके बाद अनुज व सूरज ने उसी गाड़ी से लाश को लेकर फौजी के गाँव हाइवे की तरफ सूर्या होटल के आगे नहर के थोड़ा आगे बायीं पटरी पर फेंककर महटौली हाइवे अंडर के पास से घूमकर, वापस सेंगुर नदी पुल पर गाडी रोककर पाना में लगे रक्त को गाड़ी में रखे कपड़े से पोछकर नितेश फौजी के मोबाइल और कपड़े को सेंगुर नदी में फेंक दिया था तथा पाना ड्राइविंग सीट के नीचे रख दिया था। सूरज ने बताया था कि मैंने नितेश फौजी के मोबाइल को नबीपुर में ही स्विच आफ कर दिया था। सूरज ने यह भी बताया था कि मैं अपनी गाड़ी को टोल को छोड़कर बारा लिंक रोड से गये थे। अनुज को हाइवे रनियाँ में ही उतार दिया था जो कानपुर चला गया था। सूरज ने गाड़ी वापस नितिन कुशवाहा(गाड़ी मालिक) के आफिस में खड़ी कर दी थी। सूरज घर जाकर अपने कपड़े उतारकर व दूसरे कपड़े पहनकर बर्थडे पार्टी पर चला गया था।

7. सूरज की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद करने हेतु नितिन कुशवाहा के आफिस में आया और वहाँ पर खड़ी गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और फोरेंसिक टीम को मेरे द्वारा फोन करके कानपुर नगर से बुलाया गया जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया तो गाड़ी में रखी स्टेपनी में से लोहे का टायर पाना जिसकी लम्बाई लगभग 34.5 से०मी० जिस पर रक्त लगा था। फोरेंसिक टीम ने तत्काल परीक्षण कर बताया कि ये मानव रक्त है तथा सूरज के दोनों हाथों का स्वैब लिया गया तो उनके हाथों में भी मानव रक्त पाया गया। OBTI परीक्षण में मानव रक्त पाया गया तथा गाड़ी का गहन परीक्षण किया गया तो वाहन धोया हुआ प्रतीत हो रहा था किन्तु वाहन की स्टेयरिंग पर बेन्जाडीन परीक्षण में रक्त की उपस्थित मिली। वाहन की ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर तथा सीट के नीचे कार्पेट(मैट) पर बेन्जडीन परीक्षण में मानव रक्त पाया गया। टायर पाना को वैज्ञानिक द्वारा मेरे सुपुर्द किया गया जिसे मेरे द्वारा एक सफेद कपड़े में रखकर व सिल कर व सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। वाहन को भी कब्जे में लिया गया था। बरामद वस्तुओं की फर्द बनायी गयी थी।

8. वाहन से संबंधित फर्द प्रपत्र का पत्रावली में प्रपत्र सं0 20 है तथा पाने की संबंधित फर्द की प्रपत्र संख्या 21 है जो मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर क्रमशः **<u>प्रदर्श क 8 व क 9</u>** अंकित किया गया।

9. वाहन को थाने में ले जाकर थाने में खड़ा कर दिया गया।

10. माल मुकदमा टायर पाना सीलबंद आज मेरे सामने न्यायालय में उपस्थित है। यह वही पाना है जिससे मृतक नितेश की हत्या की गयी है जो आज मेरे सामने है। जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 अंकित किया गया।

11. मैंने अभियुक्तगण अनुज, सूरज व प्रदीप को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों का बयान लिया गया था और उनको साथ लेकर घटनास्थल पर आया। घटनास्थल अकबरपुर के बाराजोड पुल के पास झाँसी-कानपुर हाइवे के किनारे झाँसी से कानपुर जाने वाली पट्टी का है। मैंने घटनास्थल का मानचित्र बनाया था जो मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क 10** अंकित किया गया।

12. जहाँ मृतक का शव मिला था उस स्थान का भी मानचित्र बनाया गया था। पत्रावली में वह प्रपत्र सं०-18 पर उपलब्ध है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिस पर **प्रदर्श क 11** अंकित किया गया।

13. मैंने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, पंचनामा करने वाले उ०नि० एवं अन्य पंचों का बयान अंकित किया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉ० प्रदीप पाण्डेय ने मुझे बताया था कि मृतक की मृत्यु चोटों से होना बताया था।

14. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने चार्जशीट के साथ यह रिपोर्ट दाखिल की है।

15. मैंने उपरोक्त पंजीकृत वाहन के स्वामी ओमनारायण कुशवाहा का बयान लिया था जिन्होंने बताया था कि मेरी गाड़ी का स्थायी चालक सत्यम सक्सेना है लेकिन दिनांक 11.06.2023 को मेरे वाहन का चालक सत्यम सक्सेना अपने भाई के साले के विवाह के कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ मेरी बहू की गाड़ी महेन्द्रा स्कॉर्पियो लेकर गया था। उस दिन गाड़ी चलाने के लिए सूरज शुक्ला को बुलाया गया था। सूरज मेरी गाड़ी लेकर कहाँ ले गया था उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

16. घटना में प्रयुक्त वाहन को सेंगुर नदी के पुल के ऊपर मृतक के भाई रमन त्रिपाठी ने भी देखा था। श्री गोविन्द अवस्थी पुत्र छोटेलाल अवस्थी ग्राम धामनी थाना सिरसा जिला जालौन ने बताया था कि दिनांक 11.06.2023 को मैं जोलूपुर मोड कालपी से कानपुर के लिए निकला था। समय करीब सात बजे के लगभग नमस्ते इंडिया आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने माती मैजिक से जा रहा था, कि देखा कि नितेश त्रिपाठी दो लड़कों के साथ XUV300 के पास खड़े थे तथा आपस में बातचीत कर रहे थे।

17. मेरे द्वारा मृतक नितेश कुमार व अर्चना, अनुज, सूरज तथा प्रदीप के सीडीआर लिये गये थे। जिसे बाद अवलोकन संलग्न केस डायरी किया गया था। सीडीआर मैंने

केस डायरी के साथ मा० न्यायालय में दाखिल किया है। धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणपत्र भी मैंने पत्रावली में दाखिल किया है।

18. मैंने अर्चना की बैंक डिटेल भी संबधित बैंक से प्राप्त की थी जिसे पत्रावली में मैंने दाखिल किया है। बैंक डिटेल इसलिए निकलवायी गयी थी ताकि नितेश से संबंधों की जाँच की जा सके।

19. पर्याप्त संकलित साक्ष्यों के आधार पर मैंने अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में दाखिल किया था। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क 12** अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षा

समयाभाव के कारण जिरह जारी.....

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।